फर्द अहकाम

गोपाल बनाम प्रभात

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 46/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब कोर्ट अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19/4/24 को पेश हो।	
19/4/24	...ो पेश ... ...कार्य में ... कार्यवाही नहीं ... पत्रावली दिनांक 10/6/24 को पेश हो।	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/7/24 को पेश हो।	
18/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं ~~वकील~~ उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यो पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी ख.न. 6 रकबा 3.3509 व ख.न. 75 रकबा 1.6312 कुल किता 2 कुल रकबा 4.9821 हैक्टे. स्थित ग्राम रूपपुरा प0ह0 खतेपुरा भू.अ.नि. देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त आराजी ख.न. पर मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु ताफैसला वाद तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	